न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 270/20 दायरा दिनांक :–21.10.2020 निर्णय दिनांक :– 09.07.2021

1. पतराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी जालपिवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. सरोज पुत्री सूरजो
2. कपिल पुत्र सूरजो
3. हरिपाल पुत्र सूरजो
4. कमलेश पुत्री सूरजो
5. शर्मिला पुत्री सूरजो जातियान जाट निवासीयान प्रानपुरा तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा।
6. भरपाई पत्नी सुमेरसिंह जाति जाट निवासी बोड तहसील पटोदी जिला गुडगांवा, हरियाणा।
7. लक्ष्मी देवी पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी बडथल तहसील कापासेडा नई दिल्ली।
8. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
9. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– श्री गंगाराम पटेल– वकील वादी

–:निर्णयः–

दिनांक :– 09.07.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0न0 43/1.92, 177/0.49 है0 वाके ग्राम जालपिवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर आराजी हाल ख0न0 43 रकबा 1.00 है0 का 1/5 भाग तथा ख0न0 177/0.49 है0 का [illegible] आराजी कहलायेगी जो उक्त विवादित आ0ख0न0 43/1.00 का 1/5 भाग अर्था[illegible] 20 [illegible] तथा आ0ख0न0 177/0.49 है0 का 1/5 भाग अर्थात करीब 0.10 है0 [illegible] करीब 30 ऐयर भूमि वाद में विवादित भूमि कहलायेगी। उक्त विवा[illegible] पिता बुधरा[illegible] कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी जो मिनवादी [illegible] के बाद विरासत में प्र[illegible] है। मृतक बुधराम के विधिक वारीसान अंकित करते हुए निवेदन रहा कि मिनवादी के पिता की देहान्त दिनांक 17.04.2005 को हो गया था और मिनवादी की बहन सूरजो दिनांक 28.01.2004 को फौत हो गई थी अथात बहन सूरजो मिनवादी के पिता बुधराम के जीवनकाल में ही फौत हो गई थी इसलिए दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:31:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

17.04.2005 को मृतक बुधराम के जायज वारिस सोनी पत्नी, पतराम पुत्र तथा दिल्लो व गिन्दो पुत्रियां थी अर्थात 1/4, 1/4 भाग की विरासत दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन ग्राम पंचायत गोपीपुरा द्वारा इन्तकाल नंबर 293 जो मृतक बुधराम की विरासत हुआ उसमें बेजा तौर से बिना अधिकार के गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम 1/5 भाग की विरासत दर्ज की है मौके व कानून के खिलाफ है जिस इन्तकाल को मिनवादी प्रभाव शून्य कराने का अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी में मृतक बुधराम की पत्नी सोनी व दिल्लो, गिन्दो पुत्रियान में अपने पुत्र व भाई को अपना दर्ज हिस्सा रिलीज करा दिया जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौके पर समस्त आराजी पर वादी काबिजकाश्त है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना कभी रहा है लेकिन प्रतिवादीगण ने साज बाज होकर इन्तकाल 1/5 हिस्सा का बिना कानून के दर्ज कराया है और इन्तकाल दर्ज होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 ने दिनांक 21.05.2009 को उक्त आराजी में दर्ज रिकॉर्ड के हिसाब से बिना कब्जा के बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को बैयनामा कराया है। उक्त बैयनामा भी मिनवादी के खिलाफ प्रभाव शून्य है जिसे मिनवादी विवादित आराजी के हिस्से तक प्रभाव शून्य घोषित कराने का अधिकारी है एवम मिनवादी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है।

मिनवादी ने दीगर खसरा नम्बरान बाबत भी अदालत श्रीमान में पतराम बनाम हरिपाल का वाद दायर किया था जिसे श्रीमान अदालत द्वारा डिक्री किया गया है और उक्त इन्तकाल व बैयनामा को प्रभाव शून्य घोषित किया गया है तथा उक्त विवादित आराजी उस वाद में दर्ज होने से रह गई आदि आदि का निवेदन करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि हाल आराजी ख0न0 43/1.00 तथा 177/0.49 है0 वाके ग्राम जालपिवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर का 1/5 भाग जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्से को हजफ किया जाकर मिनवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे एवम जो इन्तकाल संख्या 293 ग्राम पंचायत द्वारा गैर कानूनी दर्ज किया है के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 ने प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को दिनांक 21.05.2009 को जो बैयनामा कराया है को मिनवादी के खिलाफ प्रभाव शून्य घोषित किया जावे एवम प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त विवादित आराजी को रहन, बैय, मुन्तकिल ना करे एवम अन्य दीगर दादरसी जो बैय नजदीक अदालत हो बक्शी जावे आदि–आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी उपरांत हाजिर अदालत नहीं होने की स्थिति मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवम प्रतिवादी संख्या 9 पैरोकार सरकार द्वारा बार–बार अवसर उपरांत जवाब पैरोकार प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में पैरोकार सरकार के जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में रिकॉर्डेड साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2070–73 किता 2 प्रदर्श–1, 2 नकल बैयनामा दिनांक 21.05.2009 की असल प्रति देखकर बैयनामा की प्रति प्रदर्श–3, प्रमाणित नकल निर्णय दावा संख्या 365/07 निर्णय दिनांक 12.04.2018 प्रदर्श–4, नकल प्रमाणित पर्चा डिक्री दिनांक 12.04.2018 प्रदर्श–5, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र बुद्धाराम दिनांक 17.04.2005 प्रदर्श–6, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र सुरजो दिनांक 28.01.2004 प्रदर्श–7, नकल इन्तकाल संख्या 293 प्रदर्श 8 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पत्रांक पी डब्ल्यू–1, यादराम पी डब्ल्यू–2 एवम शपथ पत्र सुखराम पी डब्ल्यू –3 पेश [illegible] शामिल पत्रावली हो।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने [illegible] वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए वादी के वादपत्र को बिक्री [illegible] का अ[illegible] करते हुए विवादित आराजीयात के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 [illegible] अंकन को हजफ किया जाकर वादी को उक्त विवादित आराजी 1/5 भाग की [illegible]दार काश्तकार घोषित किये जाने, हाल राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार ही अमल दरामद कराये जाने एवम इन्तकाल संख्या 293 द्वारा प्रतिवादीगण के नाम हुये अंकनानुसार प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के हक में दिनांक 21.05.2009 को कराये गये बैयनामे को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने एवम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:31:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से विवादित आराजी को रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे के बाबत पाबंद किये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत जिनके मुताबिक वादी ने अपने वादपत्र के माध्यम से विवादित आराजी को पिता बुधराम की स्पष्ट रूप से जाहिर करते हुये सूरजो पुत्री बुधराम जो वादी की बहन रही है की मृत्यु दिनांक 28.01.2004 को होना अंकित कर पिता बुधराम की मृत्यु दिनांक 17.04.2005 को होना जो प्रस्तुत प्रदर्श–6 व 7 से स्पष्ट साबित है इस बाबत दौराने बहस वकील वादी का अभिकथन रहा है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में दिनांक 05.05.2009 को संशोधन हो चुका है और उक्त संशोधन अनुसार संशोधन के दिनांक से पिता के जीते जी पुत्री को पुत्रों के समान हक हिस्सा लेने का अधिकार रहेगा तथा पिता की मृत्यु उपरांत भी पूर्वानुसार पुत्रों के समान पुत्री का हिस्सा रहेगा। ऐसी स्थिति में पिता के जीवनकाल में पुत्री की मृत्यु हो जाना और उपरोक्तानुसार पुत्री को हक दिये जाने के बाबत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन भी बाद की अवधि में होने के आधार पर पुत्री के मरणोपरान्त पुत्री के वारिसों को कोई हक हासिल नहीं होना साबित पाये जाने पर इन्तकाल संख्या 293 ग्राम पंचायत गोपीपुरा द्वारा गलत दर्ज व स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हद तक खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए उनके बाबत के हाल रिकॉर्ड में हो रहे अंकन को हजफ कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अभिकथन रहा जिस बाबत उभय पक्षकारान के मध्य पूर्व में दावा संख्या 365/04 के निर्णय दिनांक 12.04.2018 की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श–4 पेश होकर शामिल पत्रावली है के अवलोकन उपरांत वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 लगायत 8 के अवलोकन से एवम प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद विधिवत तलबी हाजिर अदालत नहीं आने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाया जाने पर विवादित आराजी ख0न0 43/1.92, 177/0.49 है0 वाके ग्राम जालपिवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर आराजी हाल ख0न0 43 रकबा 1.00 है0 का 1/5 भाग तथा ख0न0 177/0.49 है0 के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम हो रहे 1/5 भाग के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के हक में दिनांक 21.05.2009 को कराये गये बैयनामें को शून्य करार दिया जाता है एवम उक्त 1/5 भाग के बाबत का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी के बाबत उनके नाम हो रहे अंकन की आड में विवादित आराजी को रहन, बैय आदि किसी भी प्रकार से दीगर जगह मुन्तकिल ना करे पाबंद रहे। उपरोक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अमल दरामद किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:31:00 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलेक्टर, मुण्डावर
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को मेरे द्वारा [illegible] कर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलेक्टर, मुण्डावर
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारी:–   रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 270/20   दायरा दिनांक :–21.10.2020   पर्चा डिक्री दिनांक :– 09.07.2021

1. पतराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी जालपिवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. सरोज पुत्री सूरजो
2. कपिल पुत्र सूरजो
3. हरिपाल पुत्र सूरजो
4. कमलेश पुत्री सूरजो
5. शर्मिला पुत्री सूरजो जातियान जाट निवासीयान प्रानपुरा तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा।
6. भरपाई पत्नी सुमेरसिंह जाति जाट निवासी बोड तहसील पटोदी जिला गुडगांवा, हरियाणा।
7. लक्ष्मी देवी पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी बडथल तहसील कापासेडा नई दिल्ली।
8. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
9. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–   श्री गंगाराम पटेल– वकील वादी

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री गंगाराम पटेल एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक** 12.04.2021 को **श्री रामसिह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

आराजी ख0न0 43/1.92, 177/0.49 है0 वाके ग्राम जालपिवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर आराजी हाल ख0न0 43 रकबा 1.00 है0 का 1/5 भाग तथा ख0न0 177/0.49 है0 के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम हो रहे 1/5 भाग के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के हक में दिनांक 21.05.2009 को कराये गये बैयनामें को शून्य करार दिया जाता है एवम उक्त 1/5 भाग के बाबत का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी के बाबत उनके नाम हो रहे अंकन की आड़ में विवादित आराजी को रहन, बैय आदि किसी भी प्रकार से दीगर जगह मुन्तकिल करने से पाबंद रहे। उपरोक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:31:00 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.07.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

9.7.21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज